तारीख हुक्म	
	[illegible] पत्रावली [illegible] दिनांक 31/07/19 को पेश हो।
31/07/19	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अनुपस्थित। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 08.08.19 को पेश हो।
08/08/19	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष अनु०। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 04-09-19 को पेश हो।
04/09/19	पत्रावली पेश हुई। उभयपक्ष वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित। वादी द्वारा अपना वाद विड्रा करने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो शामिल पत्रावली है। पत्रावली में वाद विड्रा प्रार्थना पत्र पर वादी व प्रतिवादी अधिवक्ता को सुना गया। पत्रावली दिनांक 06-09-19 को पेश हो।
06/09/19	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष अधिवक्ता (वादी व प्रति० 1) उपस्थित। वादी वकील के विड्रा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों एवं विड्रा प्रार्थना पत्र पर वादी व प्रतिवादी सं. 1 की बहस पर मनन किया गया। प्रतिवादी सं. 1 का कथन है कि वादी प्रतिवादी को अनावश्यक परेशान करने के उद्देश्य से वाद लाता है इसकारण विड्रा प्रार्थना पत्र पर वादी पर भारी पेनल्टी लगाई जाकर प्रार्थना पत्र वाद विड्रा स्वीकार किया जावे। वादी अधिवक्ता का कथन है कि उक्त वाद मात्र विभाजन का वाद है तथा अभी तलबी की स्टेज यानि प्रारम्भिक अवस्था में ही है तथा इससे किसी पक्षकार को हानि नहीं हो रही है अत: वाद विड्रा प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा

उभय पक्ष (वादी व प्रतिवादी सं 1) के कथनों पर मनन किया। उक्त वाद संयुक्त खातेदारी भूमि के विभाजन हेतु धारा 53, 188 RT Act 1955 के अन्तर्गत वादी द्वारा लाया गया है तथा अभी प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की तलबी मे है जो वाद की प्रारम्भिक अवस्था ही है। परन्तु प्रतिवादी सं 1 द्वारा प्रस्तुत जबाब दावा व संलग्न दस्तावेजों (बयनामा) के अनुसार वादी द्वारा उक्त खसरा नम्बर 296 रकबा 0.25 वाके ग्राम नगर मे से अपने 1/5 हिस्से में से आवासीय भूखण्ड के रूप मे अन्य व्यक्ति को भूमि का विक्रय किया हुआ है। चूंकि उक्त तथ्य को वादी द्वारा अपने वाद पत्र में भी अंकित नहीं किया गया है।

अतः वादी का प्रार्थना पत्र बाबत वाद विड्रॉ वाद के प्रारम्भिक अवस्था मे होने के कारण इस निर्देश के साथ स्वीकार किया जाता है कि वादी, प्रतिवादी सं. 1 के खातेदारी हिस्से तक की भूमि के उपयोग, उपभोग में मजाहमत नहीं करें। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय आज दिनांक 06-09-2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)
06.09.19
(सुरेश कुमार यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नगर (राजस्थान)